संख्या: 352 /2025/ 3607 /चार-2025-1786042

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन,लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 15 दिसम्बर, 2025

विषय:- अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद जी की जन्मस्थली बदरका, जनपद उन्नाव में बहुद्देशीय हाल एवं अन्य सुविधाओं के निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 3444/सं0नि0-6(47)/2023-24 दिनांक 02 दिसम्बर, 2025 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-262/2024/1620/चार-2024-1786042 दिनांक 08 जुलाई, 2024 द्वारा अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद जी की जन्मस्थली बदरका, जनपद उन्नाव में बहुद्देशीय हाल एवं अन्य सुविधाओं के निर्माण हेतु रू0 618.44 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष रू0 200.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. अवगत कराना है कि वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 में निर्देश दिये गये हैं कि परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जायेगा। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा। उक्त संबंध में विवरण/ सूचना शासन में अप्राप्त है।

3. उपर्युक्त के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद जी की जन्मस्थली बदरका, जनपद उन्नाव में बहुद्देशीय हाल एवं अन्य सुविधाओं के निर्माण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में **रू0 300.00 लाख (रू0 तीन करोड़ मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त किये जाने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 में दिये गये निर्देशों के क्रम में कार्यवाही पूर्ण करते हुए एक माह में शासन को अवगत कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) शासनादेश संख्या- 262/2024/1620/चार-2024-1786042 दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित शर्तें यथावत् रहेंगी।

(4) उक्त स्वीकृति संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के संबंध में वित्त विभाग के मितव्ययिता संबंधी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के संबंध में निर्गत शासनादेशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) कार्यदायी संस्था द्वारा जिलाधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी से अब तक हुए कार्य की हस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रति शासन एवं संस्कृति निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

(7) धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था- कांस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम के बैंक खाते में उपलब्ध करायी जायेगी।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 3,00,00,000/- (रुपये तीन करोड़ मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 092 **लेखा शीर्षक** 4202048000300 प्रेक्षागृह / खुला मंच का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या- 352 /2025/ 3607 (1) /चार-2025-1786042 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, उन्नाव, उ0प्र0।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- महाप्रबन्धक, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
9- परियोजना प्रबंधक, यूनिट-29, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, गोमती नगर, लखनऊ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in